फर्दअहकाम
(नियम– 26)
अज अदालत सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) सिवाना

वादीगण ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ बनाम	प्रतिवादीगण
1. बलाराम पुत्र गणेशाराम जाति रबारी निवासी मांगी तहसील सिवाना (3)	1. चडकी पत्नी वालाराम जाति रबारी निवासी मांगी तहसील सिवाना जिला बालोतरा 2 राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना

मु0नं0 63 /24

किस्म मुकदमा.. राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 RT Act

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मेंजारी हुए
27.06.2024	वादीगण बलाराम वगैरा की ओर से यह वाद पत्र वकील श्री पूनमचन्द रामदेव के द्वारा प्रतिवादीगण चडकी वगैरा के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 53 RTA Act का पेश किया। जिसे बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को सम्मन जारी हो । पत्रावली आयन्दा 29.07.2024 को पेश हो। (सुरेन्द्र सिंह खंगारोत) सहायक कलक्टर,(S.D.O) सिवाना	
29.07.24	पत्रावली आज पेश हुई। आज पीठासीन अधिकारी महोदय राजकीय कार्य में व्यवस्त है। इजलास होकर पत्रावली दिनांक 12.08.2024 को पेश हो।	
12.08.2024	पत्रावली पेश हुई। वादीगण मय वकील उपस्थित। वादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि के संबंध में दोनो पक्षों के मध्य लोक-अदालत की भावना से आपस में राजीनामा हो जाने से वे वाद की कार्यवाही जारी नही रखना चाहते हैं अतः वाद को नया वादपत्र पेश करने का हक सुरक्षित रखने की अनुमति सहित विड्रो कर खारिज फरमावें। हमने वादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन [illegible]। वादीगण को [illegible] नया [illegible] का हक सुरक्षित रखते [illegible] विड्रो खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (S.D.O.) सिवाना	नि० [illegible] नि० चडकी वादी बलाराम की ओर से Adv.

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2024.08.17 10:31:19 IST
Reason: SelfAttested